न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
115 / 2021	2021 / 272	17.09.2021	31.08.2022

उनवान प्रकरण

श्रवण पुत्र झूंथा जाति धानका उम्र 72 साल निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गणपत जाति धानका उम्र 60 साल निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. बाबूलाल उम्र 65 साल
3. किशोर उम्र 60 साल
4. रमेशचन्द्र उम्र 42 साल
5. कैलाशचन्द उम्र 25 साल

पुत्रगण स्व. चौथू

6. पूजा देवी पत्नी स्व. उम्मेद उम्र 45 साल
7. शालू देवी पुत्री स्व. उम्मेद उम्र 18 साल
8. उदयसिंह उम्र 11 साल
9. गणेशराम उम्र 7 साल

पुत्रगण स्व. उम्मेद नाबालिग जरिये संरक्षिका माता पूजा देवी जाति धानका निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:21 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

10. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

11. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री भँवर सिंह चौधरी, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री अनिल यादव, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9,

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 रक्बा 1.1700 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 के नाम दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रक्बा 0.9000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 217 रक्बा 0.9500 हैक्टर कुल किता—2 कुल रक्बा 1.8500 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृतक चौथमल पुत्र झूंथा के नाम दर्ज है। मृतक चौथमल पुत्र झूंथा के वारिसान प्रतिवादी संख्या—2 ता 9 है। वादी व प्रतिवादी संख्या—1 ता 9 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। उक्त सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या—1 ता 9 आपस में एक ही परिवार से है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमियों का पक्षकारान में आपस में पारिवारिक सैटिलमेन्ट बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 रक्बा 1.1700 हैक्टर सम्पूर्ण पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 216 रक्बा 0.9000 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:21 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सम्पूर्ण पर प्रतिवादी संख्या–1 काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9500 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या–2 ता 9 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 05–09–2021 को इन्कार हो गये एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 9 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में सहमति न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 10 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 10 के विरूद्ध वाद विड्रा किये जाने की अनुमति चाही जाने पर प्रतिवादी सं. 11 के विरूद्ध वाद विड्रा किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी सं. 11 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा वादी के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26.21 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 215 रक्बा 1.1700 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रक्बा 0.9000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 217 रक्बा 0.9500 हैक्टर कुल किता–2 कुल रक्बा 1.8500 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृतक चौथमल पुत्र झूंथा के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है।

ऐसी स्थिति में आराजीयात अवस्थित तन् ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 रक्बा 1.1700 हैक्टर की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम हटाया जाकर इसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रक्बा 0.9000 हैक्टर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि से वादी व मृत्तक चौथमल पुत्र झूंथा का नाम हजफ किये जाने तथा खसरा नम्बर 217 रक्बा 0.9500 हैक्टर सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से वादी व मृत्तक चौथमल पुत्र झूंथा का नाम हजफ किये जाकर इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:20:21 IST
Reason: SelfAttested

दिलीपसिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अवस्थित तन् ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 रक्बा 1.1700 हैक्टर की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम हटाया जाकर इसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रक्बा 0.9000 हैक्टर सम्पूर्ण का अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से वादी व मृत्तक चौथमल पुत्र झूंथा का नाम हजफ किया जाता है तथा खसरा नम्बर 217 रक्बा 0.9500 हैक्टर सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से वादी व मृत्तक चौथमल पुत्र झूंथा का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उक्तानुसार बैंक का रहन दुरस्त किया जावे। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:21 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)